(1)

A-4/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 116/2020

1. अटल सिंह पुत्र मोहरसिंह,
2. राजबाला पत्नी अटल सिंह,
3. अपूर्वा पुत्री अटल सिंह,
   जातिगण जाट, निवासीगण वार्ड न0 34, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (न0पा0 चुनाव एवं एस0डी0एम0) चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील विरूद्व आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (न0 पा0 चुनाव) चिडावा बाबत जोडे जाने वार्ड न0 34 चिडावा की मतदाता सूची मे नाम

——

उपस्थित

3. श्री विजय डाबला एवं श्री वीरेन्द्र सिंह, एडवोकेट— अपीलांट की ओर से
4. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर से

आदेश

दिनांक 16.09.2020

17

उक्त विषयक अपीले विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा के आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्ट के अनुसार इस प्रकार है कि अपीलान्ट कदीमी अरसे से नगरपालिका चिडावा वार्ड नं0 34 क्षेत्र मे आबाद चले आ रहे है। वर्तमान मे अपीलान्ट का निवास स्थान नगरपालिका चिडावा के वार्ड न0 34 मे स्थित है। आवेदक मय परिवार आबाद है। जांचकर्ता ने मौके पर जाकर कोई जांच नही की है बल्कि कार्यालय मे बैठकर ही अपनी मनमर्जी से रिपोर्ट कर दी। अपीलान्ट के राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह दस्तावेज सब नगरपालिका चिडावा के है। आवेदक का नाम नगरपालिका चिडावा की मतदाता सूची के वार्ड न0 40 मे गलत जोड दिये गया। अपीलान्टी वार्ड न0 34 मे ही निवास करता है तथा वार्ड नं0 34 व 40 के बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलान्टी वार्ड नं0 34 मे ही निवास करता है अपीलान्ट एक ही परिवार के सदस्य है और अपीलान्ट ने एक ही आवेदन पत्र मे नाम जोडने का आवेदन अदालत मातहत मे किया था। अदालत मातहत ने बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट पर कोई गौर नही किया। अपील अपीलान्ट सुनने का क्षेत्राधिकार अन्तर्गत धारा 17 (बी) राजस्थान नगर पालिका निर्वाचन नियम 1974 के अधीन है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट का नाम वार्ड नं0 40 से हटाकर नगरपालिका चिडावा की मतदाता सूची के वार्ड नं0 34 मे शामिल किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

A-4/2

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट नगर पालिका चिडावा के वार्ड न0 34 के निवासी है। बी0एल0ओ0 ने भी अपनी रिपोर्ट मे अपीलान्ट को वार्ड नं0 34 का निवासी माना है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के नाम गलत रूप से वार्ड न0 34 के बजाय 40 मे जोडे जाने के आदेश दिये है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट्स के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 40 से हटाकर वार्ड नं0 34 की मतदाता सूची मे जोडे जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोडेन्ट) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने अपनी अपील मे अदालत मातहत के आदेश दिनांक का कोई हवाला नही दिया है। इससे स्पष्ट नही है कि अपीलान्ट किस आदेश के विरूद्व अपील मे आये है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपीले एक ही वार्ड, एक ही स्थान एवं एक ही परिवार की होने के कारण एक साथ निर्णित की जाती है। अपीलों का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किये जाते है। अपीलें जिस आदेश के विरूद्व पेश की गई है वह आदेश ही अस्तित्व मे नही है अर्थात प्रस्तुत अपीलों मे आदेश दिनांक का कोई अंकन नही है। बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट्स नगर पालिका चिडावा के वार्ड न0 40 मे ही निवास करते है। ऐसी स्थिति मे अदालत मातहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) चिडावा द्वारा पारित आदेश उचित है। अतः अपीलों का निर्णय मैरिट के आधार पर किया जाकर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है एवं अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जाता है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17

(यू0डी0खान) 17/09/2

जिला कलक्टर, झुंझुनू

जिला कलेक्टर झुन्झुनू